



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010
दूरभाष 0522-2720831, फ़ैक्स 0522 - 2720764, 0522-2720676
ई-मेल- info@uppcb.com वेब साइट: www.uppcb.com

पत्रांक..... G/33845/C-1/सा० - 100/2020

दिनांक..... 08.10.2020

वैधानिक सूचना

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार होटल/रेस्टोरेन्ट्स/मोटल्स/बैंकटहाल्स आदि में प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण प्राविधानों को लागू किये जाने के संबंध में।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT), नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-400/2017 में पारित आदेश दिनांक 16.12.2019 एवं दिनांक 23.07.2020 के निर्देशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा होटल/रेस्टोरेन्ट्स/मोटल्स/बैंकटहाल्स आदि में प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण प्राविधानों को लागू किये जाने के संबंध में मार्गदर्शिका प्रकाशित की गयी है, जिसके अनुसार प्रत्येक रेस्टोरेन्ट/होटल/मोटल्स/बैंकटहाल्स आदि में निम्नानुसार व्यवस्थाओं/अनुमतियों सुनिश्चित की जाना अनिवार्य है :

- Individual units to provide necessary facilities for control of air, water & noise pollution, solid waste management etc. as enumerated in the guidelines.
- Individual to take necessary approvals from the concerned authorities as listed below:
 - Consent to Establish under Air/Water Act from U.P Pollution Control Board.
 - Consent to Operate under Air/Water Act from U.P Pollution Control Board.
 - Permission from concerned authorities in accordance with provisions of Noise Rules.
 - Permission for Ground water Extraction from concerned Authorities, if required.
 - Building plan approval from local Urban Body/concerned Authorities.
 - Fire safety Certificate/NOC from Concerned Authorities.
- Local Authorities to ensure Provision of adequate common facilities for water pollution, solid waste management, parking etc.
- The state Board to have robust monitoring mechanisms to evaluate compliance with norms of such units at least twice a year.

मार्गदर्शिका उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट लिंक http://www.uppcb.com/pdf/Mechanism_Guidelines_270820.pdf पर उपलब्ध है। मा0 अधिकरण के निर्देशानुसार समस्त संबंधित रेस्टोरेन्ट/होटल/मोटल्स/बैंकटहाल्स आदि तथा संबंधित विभाग उपरोक्तनुसार कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करें।

V.A